न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1839–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी प्रकरण कमांक 169/अपील/2012–13.

ब्रजेन्द्र प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद दुबे
निवासी ग्राम कुबरी तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

विश्वनाथ तिवारी पुत्र पंचमराम तिवारी
निवासी ग्राम कुबरी तहसील गोपद बनास
जिला सीधी म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री एस0के0 श्रीवास्तव एवं श्री आई0पी0 द्विवेदी,
अभिभाषक, आवेदक
श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 21/11/2016 2016)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी के आदेश दिनांक 28–5–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष नायब तहसीलदार के नामांतरण पंजी कमांक 22 आदेश दिनांक दिनांक 15–8–1987 के विरूद्ध 24 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ आवेदन पत्र अधीन धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–5–2014 के द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समयाविध में मानकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए कि ग्राम कुबरी स्थित प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की पैतृक भूमि है जिसपर अनावेदक का कोई स्वत्व नहीं है। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष नायब तहसीलदर तहसील गोपदबनास के समक्ष नायब तहसीलदार गोपदस् के आदेश के विरूद्ध 24 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 9–10–13 को अनावेदक विश्वनाथ की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था, परन्तु आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिए पुर्नस्थापित किया, जिसकी सूचना भी आवेदक को नही दी गई एवं दिनांक 23–10–13 को उत्तरवादी (आवेदक) का तर्क अवसर समाप्त कर दिया। तर्क में यह भी कहा कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 24 वर्ष विलम्ब का कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया था फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में बिना कारण दर्शाय मात्र यह लिखकर कि यह अपील 23–2–12 से विचारण में है । 2 वर्ष पश्चात इसे धारा 5 पर अस्वीकृत करना अनुचित होगा, अपील को ग्राह्य

कर अंतिम तर्क हेतु नियत किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने 24 वर्ष विलम्ब के संबंध में सकारण आदेश भी पारित नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–5–14 निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के नाना की भूमि है। नाना की मृत्यु के पश्चात आदेश दिनांक 14–9–87 के द्वारा आवेदक ने वारिसान नामांतरण करा लिया जिसकी सूचना उसे दिनांक 14–2–12 को हुई। आदेश की जानकारी होने पर तहसीलदार कार्यालय में दिनांक 15–2–12 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 18–2–12 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात दिनांक 23–2–12 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो जानकारी दिनांक से समय–सीमा में है। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को समय–सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार गोपद बनास के आवेदक के पक्ष में हुये वारिसाना नामांतरण आदेश दिनांक 15–8–1987 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 24 वर्ष से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में अनावेदक ने आदेश की जानकारी का दिनांक 14–2–12 बताते हुये यह आधार बताया है कि आवेदक द्वारा उसे नामांतरण की जानकारी देते हुये धमकी दी गई तब अनावेदक को उक्त नामांतरण आदेश की जानकारी हुई, मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि 24 वर्ष के दीर्घकालीन अवधि के विलम्ब की जानकारी आवेदक द्वारा स्वयं दिये जाने पर अनावेदक को हुई यह

आधार मान्य नहीं किया जा सकता। जहां तक अनावेदक के हितबद्ध होने के तर्क का प्रश्न है नामांतरण आदेश के समय आवेदक को नामांतरण का हक नहीं था इसलिए तत्समय पारित आदेश में वह हितबद्ध नहीं माना जा सकता। अनावेदक द्वारा 24 वर्ष के असाधारण विलंब को बिना ठोस आधारों के समाधानकाकर मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। किसी पक्षकार को विलंब के संबंध में ज्यादा लाभ या सहुलियत प्रदान नहीं की जा सकती। इस संबंध में 2000 आर एन 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5– विलंब की माफी– ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो।"

जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 28–5–14 में यह आधार लेते हुये अपील 2 वर्ष से विचारण में है इसलिए पश्चात इसे धारा 5 पर अस्वीकृत करना अनुचित होगा, को तर्कसंगत एवं विधिसंगत नहीं कहा जा सकता क्योंकि 24 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करने के लिए ठोस समाधानकारक कारण दर्शाया जाना आवश्यक होता है। इस संबंध में 1989 आर एन 243 गोदावरी बाई विरूद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया– पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिए बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती।"

2013 (III) MPWN 69 मंदिर श्री राम जानकी विरूद्ध राम कुंवर बाई में मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

"परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5– अपील फाइल करने में विलंब की माफी–विलंब 2687 दिन का – उचित रूप से स्पष्टीकृत नहीं– विलंब माफ नहीं किया जा सकता। ए आई आर 1962 एस सी 361 तथा (2012)3 एस सी सी 563 अनुसरित।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी का आदेश दिनांक 28–5–2014 निरस्त किया जाता है।

(एस. एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर